



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक—एम.जे.पी.रु.वि./परीक्षा/प0नि0का0/2021/1012

दिनांक—27.10.2021

द्वितीय स्परण पत्र

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/केन्द्राध्यक्ष
समस्त विश्वविद्यालय परीक्षा केन्द्र 2021
(एम. जे. पी. रु. वि बरेली)

विषय— विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा एवं आगामी परीक्षा सुधार/सेमेस्टर परीक्षा के पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता बिल/देयक आनलाईन भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा—2021 की परीक्षायें दिनांक 15.07.2021 से प्रारम्भ होकर समाप्त हो चुकी है। परीक्षा सम्बन्धी पारिश्रमिकों/देयकों के पूर्व वर्षों की भुगतान व्यवस्था में परिवर्तन कर आनलाईन भुगतान की व्यवस्था बनाये जाने हेतु कुलपति महोदय द्वारा गठित कमेटी की संस्तुतियों को स्वीकृति प्रदान करते हुए मुख्य परीक्षा एवं आगामी परीक्षा सुधार/सेमेस्टर परीक्षा के चार मद (मद "क" मुख्य परीक्षा, मद "ख" प्रयोगात्मक/मौखिकी परीक्षा, मद "ग" उत्तर पुस्तिका संकलन केन्द्र एवं मद "घ" परीक्षा केन्द्रों से संकलन केन्द्र पर उत्तर पुस्तिकाओं को केन्द्र तक पहुचाने सम्बन्धी देयक) प्रति छात्र की दर से पूर्व वर्षों में निर्धारित मानकों/दरों को दृष्टिगत रखते हुए पारिश्रमिक देयक/बिल तैयार करने हेतु संलग्न प्रपत्रों को पूर्ण रूप से भरकर विश्वविद्यालय को परीक्षा नियुक्तक कार्यालय की वेबसाईट पर प्रेषित करें तदोपरान्त भुगतान की प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रारम्भ की जायेगी। पत्र के साथ संलग्न चार मदों(संलग्नकों सहित) प्रपत्रों पर परीक्षा देयक/बिल तैयार करते समय निम्न बिन्दुओं को संज्ञान में लेते हुए विश्वविद्यालय को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय की वेबसाईट पर coe@mjpru.ac.in पर प्रेषित करें। संलग्न प्रोफार्मा पर ही देयक/बिल प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में देयक/बिलों का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा।

1—मुख्य परीक्षा, प्रयोगात्मक /मौखिकी परीक्षा, उत्तर पुस्तिका संकलन केन्द्र एवं परीक्षा केन्द्रों से संकलन केन्द्र पर उत्तर पुस्तिकाओं को केन्द्र तक पहुचाने सम्बन्धी देयक के संलग्न प्रारूप एवं संलग्नकों सहित देयक /बिलों पर राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्या/प्राचार्या/केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर (मोहर सहित) होना अनिवार्य है।

2—मुख्य परीक्षा एवं प्रयोगात्मक /मौखिकी परीक्षा, उत्तर पुस्तिका संकलन केन्द्र एवं परीक्षा केन्द्रों से संकलन केन्द्र पर उत्तर पुस्तिकाओं को केन्द्र तक पहुचाने सम्बन्धी देयक के संलग्न प्रारूप एवं संलग्नकों सहित देयक /बिलों पर स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों/परीक्षा केन्द्र के प्रबन्धक/प्राचार्या/प्राचार्या/केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर (मोहर सहित) होना अनिवार्य है।

3—परीक्षा के देयकों/बिलों को पूर्व वर्षों की निर्धारित दरों के अनुसार संलग्न प्रारूप पर ही तैयार करें।

4—प्रयोगात्मक/मौखिकी परीक्षा हेतु आये शिक्षकों के यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता एवं पारिश्रमिक देयक/स्नातकोत्तर के देयक /बिल संलग्न प्रारूप पर पृथक पृथक तैयार कर प्रस्तुत करें एवं जिन शिक्षकों का ग्रेड पे 8700 या अधिक है को एसी सेकेन्ड का भुगतान देय होगा। कार से आने वाले शिक्षकों की कार का नचर एवं कार पेट्रोल होनी चाहिए।

5—परीक्षा के देयक/बिल संलग्न प्रारूप पर अलग अलग तैयार कर आनलाईन भुगतान हेतु परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की ईमेल coe@mjpru.ac.in पर प्रेषित करें।

6—परीक्षा समाप्त होने के उपरान्त तीन माह के अन्दर आनलाईन बिल स्वीकार किये जायेंगे। तीन माह उपरान्त कोई भी देयक/बिल आनलाईन/आफलाईन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

7—परीक्षा के पारिश्रमिक देयक /बिल एवं शिक्षकों के यात्रा भत्ता चार मद (मद "क" मुख्य परीक्षा, मद "ख"

प्रयोगात्मक/मौखिकी परीक्षा, मद "ग" उत्तर पुस्तिका संकलन केन्द्र एवं मद "घ" परीक्षा केन्द्रों से संकलन केन्द्र पर उत्तर पुस्तिकाओं को केन्द्र तक पहुचाने सम्बन्धी देयक) एवं पारिश्रमिक की मूल प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखें। आवश्यकता पड़ने पर जिसे देखा/जांचा जा सके।

8-परीक्षा की समाप्ति उपरान्त परीक्षा सम्बन्धी चार मद (मद "क" मुख्य परीक्षा, मद "ख" प्रयोगात्मक/मौखिकी परीक्षा, मद "ग" उत्तर पुस्तिका संकलन केन्द्र एवं मद "घ" परीक्षा केन्द्रों से संकलन केन्द्र पर उत्तर पुस्तिकाओं को केन्द्र तक पहुंचाने सम्बन्धी देयक) देयक/बिलों के सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र आनलाईन प्रस्तुत करना होगा।

9-प्राचार्य/प्राचार्या /केन्द्राध्यक्ष एवं प्रबन्धक अथवा नामित सदस्य द्वारा स्कैन्ड हस्ताक्षर होगा तथा उसकी हस्ताक्षरित स्कैन कापी (Signed Scan Copy) भी विश्वविद्यालय को महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

10-परीक्षा सम्बन्धी प्रेषित देयक/बिलों के सम्बन्ध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो प्रबन्धक एवं प्राचार्य के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा उचित कार्यवाही की जायेगी।

11-प्रयोगात्मक/मौखिकी परीक्षा के लिए केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/परिप्रेक्षक/सहायक परिप्रेक्षक एवं आन्तरिक उड़ाका दल को भुगतान देय नहीं होगा।

12-विश्वविद्यालय द्वारा अपरिहार्य कारणों से दूसरे संस्थान/महाविद्यालय से अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष/पर्यवेक्षक किसी भी परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त किये जाते हैं तो, उसका भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

उपर्युक्त आवश्यक निर्देशों के साथ पारिश्रमिक देयक/बिल संबंधी प्रपत्र संलग्न कर मुख्य परीक्षा 2021 के पारिश्रमिक देयक/बिल प्रस्तुत करने हेतु पूर्व में भी कई बार आपको निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु मुख्य परीक्षा 2021 के पारिश्रमिक देयक/बिल परीक्षा नियंत्रक कार्यालय वेबसाइट coe@mjpru.ac.in पर अभी तक उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, जिससे भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही लम्बित है। कुछ महाविद्यालयों द्वारा भेजे गये देयक/बिल संलग्न प्रोफार्मों से भिन्न हैं, जिससे देयक/बिलों का परीक्षण नहीं हो पा रहा है। अतएव प्रेषित किये जाने वाले देयक/बिल संलग्न प्रोफार्मों पर ही प्रेषित किये जाये। साथ ही त्रुटिपूर्ण प्रोफार्मों पर प्रेषित किये गये देयक/बिल पुनः पत्र के साथ संलग्न प्रोफार्मों पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें या विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर संलग्न प्रोफार्मों पर आवश्यक संशोधन करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि परीक्षा सम्बन्धी देयक/बिल के शीघ्र भुगतान हेतु पत्र के साथ संलग्न प्रारूप/प्रपत्र आवश्यक निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए तैयार कर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की वेबसाइट coe@mjpru.ac.in पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोपरि।

 भवदीय

वरि० प्रशा० अधिकारी

प्रतिलिपि—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्त अधिकारी, जी को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय को सूचनार्थ।
3. वै. सहा. कुलसचिव।
4. प्रभारी वेबसाइट, को इस आशय से प्रेषित कि पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों का वि.वि. की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

 वरि० प्रशा० अधिकारी

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

मुख्य पृष्ठ

विश्वविद्यालय मुख्य/सुधार/सेमेस्टर परीक्षा वर्ष.....

परीक्षा केन्द्र का नाम व परीक्षा केन्द्र कोड -.....

बैंक का नाम—..... खाता सं०—.....

आई.एफ.एस.सी. कोड ब्रांच का नाम

मद क

क्रम सं०	मद का नाम	कुल डॉटी सं०	दर	कुल धनराशि	विश्वविद्यालय कार्यालय प्रयोगार्थ
1	केन्द्राध्यक्ष		रु० 145/- प्रति पाली		
2	अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष(पूर्व अनुमति उपरान्त)		रु० 145/- प्रति पाली		
3	सहायक केन्द्राध्यक्ष(उड़ाका दल)		रु० 130/- प्रति पाली		
4	सहायक केन्द्राध्यक्ष(परीक्षा)		रु० 130/- प्रति पाली		
5	आन्तरिक उड़ाका दल		रु० 120/- प्रति पाली		
6	सहायक परिप्रेक्षक(हेल्पर)		रु० 120/- प्रति पाली		
7	परिप्रेक्षक(इनविजिलेटर)		रु० 120/- प्रति पाली		
8	लिखित परीक्षा(त्रुटीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु)		रु 15/- नामांकित प्रति छात्र		
9(a)	व्यक्तिगत अंक पत्र वितरण		रु 04/- नामांकित प्रति छात्र		
(b)	परीक्षा सुधार अंक पत्र वितरण		रु 04/- नामांकित प्रति छात्र		
10	कंटिजेंसी(कार्यालय व्यय)		रु 10/- नामांकित प्रति छात्र		
11	डीजल(कुलपति जी की पूर्व अनुमति उपरान्त)		रु 04/- नामांकित प्रति छात्र		
	कुल योग				

संलग्नक-1 प्रबन्धक प्राचार्य/प्राचार्या/केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर
हस्ताक्षर मोहर सहित परीक्षा केन्द्र की मोहर सहित

उपर्युक्त भुगतान के लिए वास्तविक व्यय के देयक मानकों के आधार पर सत्य/सही है, आडिट आपत्ति हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

मुख्य पृष्ठ

महाविद्यालय प्रयोगालय / मौखिकी शिक्षक एवं शिक्षणतर कर्मचारियों के यात्रा देयक एवं पारिश्रमिक परीक्षा वर्ष
परीक्षा केन्द्र का नाम व परीक्षा केन्द्र कोड - ख्राता सं- आई.एफ.एस.सी. कोड / ग्रांव का नाम
बैंक का नाम - ख्राता सं- आई.एफ.एस.सी. कोड / ग्रांव का नाम
परीक्षा का नाम - ख्राता सं- आई.एफ.एस.सी. कोड / ग्रांव का नाम
बैंक का नाम - ख्राता सं- आई.एफ.एस.सी. कोड / ग्रांव का नाम

मात्र अंक	मात्र का नाम	कुल धनराशि	विश्वविद्यालय प्रयोगार्थ
सं० १	स्नातक / स्नातकोत्तर प्रयोगालय / मौखिकी परीक्षा के शिक्षकों के पारिश्रमिक		
२	स्नातक / स्नातकोत्तर प्रयोगालय / मौखिकी परीक्षा के शिक्षकों के यात्रा देयक		
३	शिक्षणतर कर्मचारियों को देय प्रयोगालय परीक्षा पारिश्रमिक		
४	शिक्षणतर कर्मचारियों को देय मौखिकी परीक्षा पारिश्रमिक		

संलग्नक-१,२,३,४,५ प्रबन्धक प्राचार्य/प्राचार्या/ केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर मोहर सहित परीक्षा केन्द्र की मोहर सहित
उपर्युक्त भुगतान के लिए वास्तविक व्यय के देयक मानकों के आधार पर^l
सत्य/सही है, आडिट आपत्ति हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा। मूल देयक महाविद्यालय
में सुरक्षित रखें हैं, विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत कर दिये जायें।

मा ज्योतिबा फुले रहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन वित्त (सामान्य) अनुभाग-२ के पत्र संख्या ३/२०१९ जी-२-४१-२०१९-६०१/२०११ दिनांक
१८, २०१९ द्वारा सरकारी सेवकों (अधिकारीय सेवा के आधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) को कार्यालय ज्ञाप संख्या
. जी-२-१७५/दस-२०११-६०१/२०११ दिनांक ३१ मार्च, २०११ तथा इसके बाद समय-समय पर जारी शासनादेशों द्वारा स्वीकृत
यात्रा भत्ता की दरों एवं व्यवस्था को निम्न प्रकार पुनरीक्षित किया गया है। जो विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के
कर्मचारियों तथा प्राचार्य/अध्यापक/समिति पर लागू होगी।

दैनिक भत्ता, आनुषांगिक व्यय, सङ्क भत्ता- ग्रेड वेतन/ वेतनमान के अनुरूप

क्रम संख्या	सरकारी सेवक का ग्रेड वेतन/वेतनमान	'क' वर्ग के नगरों के लिए (रुपये में)	'ख' वर्ग के नगरों के लिए (रुपये में)	साधारण दर 'क' व 'ख' वर्ग से भिन्न स्थानों के लिए (रुपये में)	आनुषांगिक व्यय/आक्रमिक व्यय (पैसे में)	सङ्क भत्ता
1.	2800 से कम	390	300	240	30 पैसे प्रति किमी	10 रु० प्रति किमी
2.	2800 4200	600	480	390	50 पैसे प्रति किमी	10 रु० प्रति किमी
3.	4600 4800	720	570	480	50 पैसे प्रति किमी	10 रु० प्रति किमी
4.	5400 6600 7600	840	660	540	70 पैसे प्रति किमी	10 रु० प्रति किमी
5.	8700 व अधिक	930	750	600	70 पैसे प्रति किमी	10 रु० प्रति किमी

- 'क' वर्ग के नगरों के लिए जिनमें नगर पालिकायें तथा कैन्टोनेंट और निकटवर्ती नोटीफाईड एरियाज, जहाँ कहाँ विद्यमान हों, सम्मिलित होंगी- कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नोयडा क्षेत्र (गौतमबुद्ध नगर) और गाजियाबाद।
- 'ख' वर्ग के नगरों के लिए जिनमें नगर पालिकायें तथा कैन्टोनेंट और निकटवर्ती नोटीफाईड एरियाज, जहाँ कहाँ विद्यमान हों, सम्मिलित होंगी- मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर, शाहजहाँपुर, फैजाबाद, मुजफ्फरनगर, फर्रुखाबाद और फिरोजाबाद।

सङ्क भत्ता:- मोटर कार/ जीप आदि से की गई सङ्क यात्राओं के लिए:-

रु० 6,600 या उससे अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों के लिए:-

क्रम संख्या	यात्रा की दूरी	पैट्रोल चलित वाहन (रुपये प्रति किमी०)	डीजल चलित वाहन (रुपये प्रति किमी०)
1.	प्रथम 500 किमी तक	10.00	7.50
2.	500 किमी से अधिक परन्तु 1200 किमी तक	7.00	5.50
3.	1200 किमी से अधिक की दूरी पर	शून्य	शून्य

नोट: प्रश्नगत व्यवस्था केवल उन मामलों में लागू होगी जहाँ यात्रा करने वाले दो स्थान रेल अथवा बस से नहीं जुड़े हैं। रेल अथवा बस से जुड़े स्थानों के बीच यात्रा करने पर अर्ह श्रेणी में की गई यात्रा का टिकट प्रस्तुत करने पर, टिकट का वास्तविक मूल्य किसी अन्य साधन से यात्रा करने पर, प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, ए०सी० द्वितीय श्रेणी का किराया अथवा यात्रा पर वास्तविक रूप से किए गये व्यय में से भी कम होगा, ही अनुमन्य होगा। जहाँ रेल अथवा बस की सुविधा उपलब्ध नहीं है उन स्थानों के लिए सङ्क भत्ते की देयता अनुमन्य होगी। विशेष परिस्थितियों में कुलपति के पूर्व अनुमोदन से टैक्सी से यात्रा करने पर टैक्सी का वास्तविक भाड़े का आंकलन करते हुए किराया देय होगा।

- पर्वतीय स्थलों के यात्रा करने वाले को सङ्क किमी भत्ता की दरों में 33.50% की वृद्धि पाने के हकदार होंगे।
- जहाँ आवास एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था होगी। दैनिक भत्ता 1/4 देय होगा। जहाँ एक सुविधा आवास अथवा भोजन की सेवा उपलब्ध होगी वहाँ दैनिक भत्ता 1/2 की दर से देय होगा।
- यदि एक स्थान की यात्रा रेल तथा सङ्क दोनों माध्यमों से की जा सकती है परन्तु यात्रा सङ्क मार्ग से कार द्वारा की गई है तो उस दिशा में यात्रा देयक का भगतान (भत्ता तथा सङ्क माइलेज) इस प्रकार किया जायेगा मानों यात्रा रेल द्वारा की गई है प्रतिवन्ध यह होगा कि यदि सङ्क से यात्रा करने से माइलेज आदि की भगतान राशि रेल यात्रा के हिसाब से गणना करने पर कम न आ रही हो।
- यदि एक स्थान रेल सङ्क दोनों से जुड़ा हो तो यात्रा का भगतान रेल अथवा सङ्क में से जो गिनती हो।



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

मानक के अनुरूप मद ग

विश्वविद्यालय मुख्य/सुधार/सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 20..... के उत्तर पुस्तिका बण्डल संकलन केन्द्र पर पहुंचाने का पारिश्रमिक का देयक/बिल

क्रम सं०	तिथि वार विवरण	कुल दिवस	दर	धनराशि

योग—

(परीक्षा केन्द्र से संकलन केन्द्र की दूरी.....)।

उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल संकलन केन्द्र पर पहुंचाने का देयक की धनराशि

(दर रु०-८/- प्रति किलोमीटर या न्यूनतम रु०-४००/-)

प्रबन्धक प्राचार्य/प्राचार्या/ केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर
 हस्ताक्षर मोहर सहित परीक्षा केन्द्र की मोहर सहित
 उपर्युक्त भुगतान के लिए वास्तविक व्यय के देयक मानकों के आधार पर¹
 सत्य/सही है, आडिट आपत्ति हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा। मूल देयक महाविद्यालय
 में सुरक्षित रखें हैं, विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

मानक के अनुरूप मद घ

विश्वविद्यालय मुख्य/सुधार/सेमेस्टर परीक्षा 20..... के संकलन केन्द्र का देयक/विल

क्रम सं०	शिक्षक / कर्मचारी का नाम	मद का नाम	तिथि वार विवरण	कुल दिवस	दर	धनराशि
1		समन्वयक			300/-	
2		सहायक समन्वयक			225/-	
3		तृतीय श्रेणी			125/-	
		तृतीय श्रेणी			125/-	
4		चतुर्थ श्रेणी			90/-	
		चतुर्थ श्रेणी			90/-	

(आकस्मिक व्यय अधिकतम—2000/-)

योग—

(समन्वयक, सहायक समन्वयक, 02 तृतीय श्रेणी, 02 चतुर्थ श्रेणी दर क्रमशः— 300, 225, 125, 90, आकस्मिक व्यय रु०—2000/-)

प्रबन्धक प्राचार्य/प्राचार्या/ केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर
 हस्ताक्षर मोहर सहित परीक्षा केन्द्र की मोहर सहित
 उपर्युक्त भुगतान के लिए वास्तविक व्यय के देयक मानकों के आधार पर¹
 सत्य/सही है, आडिट आपत्ति हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा। मूल देयक महाविद्यालय
 में सुरक्षित रखें हैं, विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।